अनुक्रमांक /Roll No. | 0 | 0 | 0 | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 100
Total No. of Questions: 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 33
No. of Printed Pages: 33

Suitability Test-21

प्रथम प्रश्न–पत्र

First Question Paper

Time Allowed- 3:00 Hours (Including 2nd Que. Paper)
समय – 3:00 घण्टे (द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ ही)

Maximum Marks-100
पूर्णांक – 100

निर्देश : –
Instructions:-

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न के अंक समान हैं।ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

   All questions are compulsory. All questions shall carry equal Marks. There shall be no negative marking.

2. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 100 हैं । परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में प्रश्न मुद्रित है, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न पत्र मांग लें ।

   The question paper contains 100 questions. The examinee should verify that the requisite number of questions are printed in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.

3. प्रश्न पत्र के आवरण पृष्ठ पर प्रश्न–पत्र में लगे पृष्ठों की संख्या दी गई है। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में पृष्ठ लगे हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न–पत्र मांग लें ।

   The cover page indicates the number of pages in the question paper. The examinee should verify that the requisite number of pages are attached in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.

4. प्रदत्त उत्तर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदानुसार अंकित करें।

   Read carefully the instructions given on the answer sheet supplied and indicate your answers accordingly.

5. कृपया उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर निर्धारित प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नहीं ।

   Kindly make the necessary entries on the answer sheet only at the places indicated and nowhere else.

6. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

   If there is any sort of mistake either of printing or of factual nature in any question, then out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

The Code of Civil Procedure, 1908

प्र.क्र. 1 – एक पक्षीय आज्ञाप्ति के विरूद्ध निम्नलिखित में से कौन–सा उपचार प्राप्त किया जा सकता है?

(अ) आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रकिया संहिता में प्रार्थना–पत्र

(ब) धारा 96(2) सिविल प्रकिया संहिता में अपील

(स) (अ) एवं (ब) दोनों

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Which of the following remedies may be sought against *ex-parte* decree?

(a) application under Order IX Rule 13 CPC

(b) appeal under Section 96 (2) CPC

(c) Both (a) and (b)

(d) None of these

प्र.क्र. 2 – यदि अभिवचन के संशोधन के आदेश करने हेतु समय सीमा नहीं दी गई है तो पक्षकार संशोधन कर सकते है–

(अ) 30 दिनों में

(ब) 15 दिनों में

(स) 14 दिनों में

(द) 7 दिनों में

Que. If the order to amend the pleadings does not contain time limit to amend, party can make the amendment within

(a) 30 days

(b) 15 days

(c) 14 days

(d) 7 days

प्र.क्र. 3– अस्थायी व्यादेश के भंग या अवज्ञा के परिणामस्वरूप सिविल कारागार में निरोध की अवधि अधिक नहीं होगी–

(अ) 1 माह से

(ब) 3 माह से

(स) 6 माह से

(द) 1 वर्ष से

Que. Period of detention in civil imprisonment as a consequence of disobedience or breach of any temporary injunction, shall not exceed

(a) 1 month

(b) 3 months

(c) 6 months

(d) 1 year

प्र.क्र.4– न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है, हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए–

(अ.) उसकी गिरफतारी के लिए वारण्ट निकाल सकेगा,

(ब.) उसकी संम्पत्ति को कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा,
(स.) उसके उपर पाँच हजार रूपए से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा,
(द.) उपरोक्त में से सभी,

Que. The court may compel the attendance of any person to whom summons has been issued under section 30 of the Code of Civil Procedure 1908 and for that purpose may-
(a) Issue a warrant for his arrest
(b) Attach and sell his property
(c) Impose a fine upon him not exceeding five thousand rupees
(d) All of the above

प्र.क्र.5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 34 (1) के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय ब्याज स्वीकृत कर सकता है –
(अ.) वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक
(ब.) डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक
(स.) दोनों (अ) और (ब)
(द.) उपरोक्त में से कोई नही

Que. Under section 34 (1) of the Code of Civil Procedure, 1908, a civil court can grant interest -
(a) from the date of the suit to the date of the decree
(b) from the date of the decree to the date of payment
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above

प्र.क्र.6– वे सभी प्रश्न, जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते है, जिसमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से सम्बंधित है, का अवधारण किया जाएगा –
(अ.) डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा,
(ब.) पृथक वाद द्वारा,
(स.) दोनों (अ) और (ब),
(द.) उपरोक्त में से कोई नही,

Que. All the questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed, or their representatives, and relating to execution, discharge or satisfaction of the decree, shall be determined by -
(a) The court executing the decree
(b) By a separate suit
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above

प्र.क्र.7– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट वस्तुएँ डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेगी–
(अ.) बैंक–नोट,
(ब.) विनिमय–पत्र,

(स.) वचन–पत्र,
(द.) लेखा बहियाँ,

Que. According to section 60 of the Code of Civil Procedure, 1908, which of the following particulars shall not be liable to be attached and sold in execution of a decree-
(a) Bank-Notes,
(b) Bills of Exchange,
(c) Promissory Notes,
(d) Books of Account.

प्र.क्र. 8– निम्नलिखित में से कौन–सी विवाद निपटारा प्रकिया सिविल प्रकिया संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत सन्दर्भित नहीं है?
(अ) माध्यस्थम्
(ब) वार्ता
(स) सुलह
(द) मध्यस्थता

Que. Which one of the following is not a dispute settlement procedure referred under Section 89 of the Code of Civil Procedure?
(a) Arbitration
(b) Negotiation
(c) Conciliation
(d) Mediation

प्र.क्र. 9– निम्न में से कौन गिरफ्तार या सिविल कारागार में निरूद्ध नही किया जा सकता?
(अ) स्त्री
(ब) न्यायालय से आते जाते समय न्यायालय के न्यायाधीश
(स) निर्णीत–ऋणी जहा डिक्री की कुल रकम रू 2,000/–से अधिक नहीं है।
(द) ये सभी

Que. Who cannot be arrested or detained in civil prison?
(a) Woman
(b) The Judge while going to attend or return from the Court
(c) A judgment debtor where the decretal amount is not exceeding Rs.2,000/-
(d) All of these

प्र.क्र.10– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 7 के अनुसार डिक्री में उस दिन की तारीख होगी –
(अ.) जिस दिन निर्णय सुनाया गया था,
(ब.) जिस दिन डिक्री तैयार की गई थी,
(स.) जिस दिन वाद संस्थित किया गया था,
(द.) जिस दिन अंतिम तर्क सुने गए थे,

Que. According to order 20 rule 7 of the Code of Civil Procedure, 1908, decree shall bear the date of -

(a) The day on which the judgement was pronounced,
(b) The day on which the decree was made
(c) The day on which the plaint was filed
(d) The day on which final argument was heard

प्र.क्र.11– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रयोजनों के लिए सुनवाई की समाप्ति और निर्णय के सुनाने के बीच वाले समय में किसी भी पक्षकार के मृत्यु पर, वाद–
(अ.) उपशमित हो जाएगा,
(ब.) उपशमित नहीं होगा,
(स.) न्यायालय की अनुमति से उपशमित हो सकता है,
(द.) उपरोक्त में से काई नहीं,

Que. For the purpose of the Code of Civil Procedure, 1908, on the death of either parties to the suit, between the conclusion of the hearing and pronouncing of the judgement, the suit-
(a) Shall abate,
(b) Shall not abate,
(c) May abate with permission of court,
(d) None of the above.

प्र.क्र.12– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान "वाद हेतुकों के संयोजन " से सम्बन्धित है –
(अ.) आदेश 2 नियम 1,
(ब.) आदेश 2 नियम 2,
(स.) आदेश 2 नियम 3,
(द.) आदेश 2 नियम 4,

Que. Which of the following provision of the Code of Civil Procedure, 1908, is related with "Joinder of cause of action" -
(a) Order 2 Rule 1
(b) Order 2 Rule 2
(c) Order 2 Rule 3
(d) Order 2 Rule 4

प्र.क्र.13– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रयोजनों के लिए "गारनिशी" है–
(अ.) निर्णीत ऋणी,
(ब.) निर्णीत ऋणी का ऋणी,
(स.) निर्णीत ऋणी का ऋणदाता,
(द.) उपरोक्त सभी,

Que. For the purpose of the Code of Civil Procedure,1908,"Garnishee" is a-
(a) Judgement debtor,
(b) Indebted to the Judgement debtor,
(c) Judgement debtor's creditor,
(d) All of the above.

प्र.क्र.14– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान वादी को नया वाद संस्थित करने से रोकते है –
(अ.) आदेश 9 नियम 9,
(ब.) आदेश 11 नियम 21 (2),
(स.) आदेश 22 नियम 9,
(द.) उपरोक्त सभी.

Que. Which of the following provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, precludes a plaintiff from instituting a fresh suit -
(a) Order 9 Rule 9,
(b) Order 11 Rule 21 (2),
(c) Order 22 Rule 9,
(d) All of the above.

प्र.क्र.15– न्यायालय जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है एक अपीलीय डिक्री का निष्पादन रोक सकता है–
(अ) अपील के लिए अनुज्ञात समय के अवसान के पश्चात्
(ब) अपीलीय न्यायालय में अपील संस्थित हो जाने के पश्चात्
(स) अपील के लिए अनुज्ञात समय के अवसान के पूर्व
(द) डिक्री का कियान्वयन स्थगित नहीं किया जा सकता

Que. A Court, which passed the decree, may stay execution of an appealable decree
(a) After expiration of time allowed for filing the appeal
(b) After filing the appeal in appellate Court
(c) Before the expiration of the time allowed for filing the appeal
(d) Operation of decree cannot be stayed

प्र.क्र. 16–जहॉ एक वाद सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है, वहॉ वादी
(अ) नया वाद ला सकता है।
(ब) नया वाद लाने से वर्जित रहेगा।
(स) न्यायालय की अनुमति से नया वाद ला सकता है।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Where a suit is wholly or partly dismissed under Order IX Rule 8 of CPC, the plaintiff
(a) may bring a fresh suit
(b) shall be precluded from bringing a fresh suit
(c) may bring a fresh suit with the permission of the court
(d) None of these

प्र.क्र.17–**ख** की मानहानि वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला **क** कलकत्ता में प्रकाशित करता है। **क** के विरूद्ध **ख** वाद ला सकेगा –
(अ) दिल्ली में
(ब) कलकत्ता में

(स) दिल्ली में या कलकत्ता में
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. **A,** residing in Delhi, publishes in Calcutta statements defamatory of **B. B** may sue **A** –
(a) In Delhi
(b) In Calcutta
(c) Either in Calcutta or in Delhi –
(d) None of the above

प्र.क्र.18– धारा 46 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी आज्ञापत्र के पालन में की गई कुर्की चालू रहेगी –
(अ) दो मास
(ब) चार मास
(स) छः मास
(द) नौ मास

Que. Attachment under a precept issued under section 46 Code of Civil Procedure shall continue for –
(a) Two months
(b) Four months
(c) Six months
(d) Nine months

प्र.क्र.19– पंद्रह हजार रूपये मासिक वेतनधारी निर्णीत ऋणी के वेतन से भरण–पोषण डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकने वाली राशि है –
(अ) रू. 11,000
(ब) रू. 12,500
(स) रू. 13,000
(द) रू. 10,000

Que. The amount which may be attachable from judgment debtor getting salary of Rs.15000 per month in the execution of any decree for maintenance is-
(a) Rs. 11,000
(b) Rs. 12,500
(c) Rs. 13,000
(d) Rs. 10,000

प्र.क्र.20– आदेश 22 का नियम जो डिक्री निष्पादन की कार्यवाही पर लागू नहीं होता –
(अ) नियम 2
(ब) नियम 6
(स) नियम 10
(द) नियम 3

Que. Rule of Order 22 which is not applicable to proceedings in execution of a decree –
(a) Rule 2

(b) Rule 6
(c) Rule 10
(d) Rule 3

The Limitation Act 1963

(Section 3, 5 to 14, 27, & 29, Articles 64, 65 & 137)

प्र.क्र. 21– परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–3 के अंतर्गत प्रतिदावा उस दिन संस्थित किया गया समझा जाएगा–

(अ) उसी दिन जिस दिनांक को वह दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिदावा किया गया है
(ब) उस दिनांक को जिसको न्यायालय में प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है
(स) (अ) अथवा (ब) जो भी प्रतिवादी के लिए लाभप्रद हो
(द) (अ) अथवा (ब) जो भी वादी के लिए लाभप्रद हो

Que. Counter claim, under Section 3, Limitation Act, 1963 shall be deemed to have been instituted

(a) on the same day as the suit in which counter claim is made, has been filed
(b) on the day on which the counter claim is made
(c) either (a) or (b) whichever is beneficial to the defendant
(d) either (a) or (b) whichever is beneficial to the plaintiff.

प्र.क्र.22– परिसीमा अधिनियम, 1963 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा "सम्पत्ति पर के अधिकार का निर्वापित होना" से संबंधित है–

(अ.) धारा 10,
(ब.) धारा 11,
(स.) धारा 27,
(द.) धारा 29.

Que. Which of the following section of the Limitation Act, 1963 is related with "Extinguishment of right to property"-

(a) Section 10,
(b) Section 11,
(c) Section 27,
(d) Section 29.

प्र.क्र.23– परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दावा/दावें एक पृथक वाद के रूप में माना जाएगा मानें जाएगें।

(अ.) मुजरा,
(ब.) प्रतिदावा,
(स.) दोनों (अ.) और (ब.),
(द.) उपरोक्त में से कोई नहीं,

Que. For the purpose of the Limitation Act 1963, which of the following claim / claims shall be treated as a separate suit?

(a) Set-off
(b) Counter claim

(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above

प्र.क्र.24–धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं –
(अ) अपील पर
(ब) पुनरीक्षण पर
(स) वाद पर
(द) आवेदन पर

Que. Provision of section 5 Limitation Act does not apply –
(a) On Appeal
(b) On Revision
(c) On Suit
(d) On Application

प्र.क्र.25– इनमें से किसके विरूद्ध कोई वाद परिसीमा काल द्वारा प्रतिबंधित नहीं है –
(अ) न्यासी
(ब) किरायेदार
(स) देनदार
(द) साझेदार

Que. Against whom suit is not barred by period of limitation –
(a) Trustee
(b) Tenant
(c) Debtor
(d) Partner

The Specific Relief Act, 1963

(Chapter I-Section 5,6,7 & 8, Chapter VI-Section 34 & 35, Chapter VIII –Section 38 & 41)

प्र.क्र. 26–धारा–6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण हेतु वाद आधिपत्य से पदच्युत होने के दिनांक से कितने दिन के अन्दर संस्थित कर दिया जाना चाहिये।
(अ) 6 मास
(ब) 3 मास
(स) 1 वर्ष
(द) 3 वर्ष

Que. Under Section 6 of the Specific Relief Act, a suit for recovery of possession of immovable property shall be brought within .....from the date of dispossession.
(a) 6 months
(b) 3 months
(c) 1 year
(d) 3 years

प्र.क्र. 27–धारा–38 के अंतर्गत शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किया जा सकता है–

(अ) जहॉ कि उस वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिये कोई मानक विद्यमान हो

(ब) जहॉ धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष हो

(स) जहॉ कि व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों के बाहुल्य निवारित करने के लिए आवश्यक हो।

(द) जहॉ कि प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी ना हो।

Que. Perpetual injunction can be granted under section 38 of the Act

(a) when there exists standard for ascertaining the actual damages caused

(b) when compensation would afford adequate remedy

(c) when it is necessary to prevent multiplicity of proceedings

(d) when the defendant is not a trustee of property for the plaintiff.

प्र.क्र.28– विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, की धारा 6 के अंतर्गत संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री के विरूद्ध निम्नलिखित में से कौन सा उपचार उपलब्ध है–

(अ.) अपील,

(ब.) पुनर्विलोकन,

(स.) (अ) और (ब) दोनों

(द.) इनमे से कोई नहीं.

Que. Which of the following remedies is available against an order or decree passed in any suit instituted under section 6 of the Specific Relief Act, 1963?

(a) Appeal

(b) Review

(c) (a) and (b) both

(d) None of the above

प्र.क्र.29– विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, के अंतर्गत व्यादेश मंजूर नही किया जा सकता –

(अ.) किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में, जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिससे व्यादेश ईप्सित है, किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने से अवरूद्ध करने को,

(ब.) किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरूद्ध करने को,

(स.) किसी व्यक्ति को किसी अपराधिक मामले में कोई कार्यवाही संस्थित या अभियोजित करने से अवरूद्ध करने को,

(द.) उपरोक्त में से सभी.

Que. An injunction cannot be granted under the Specific Relief Act, 1963,-

(a) To restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought;

(b) To restrain any person from applying to any legislative body,

(c) To restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter,

(d) All of the above.

प्र.क्र.30–धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत की गई घोषणा बंधनकारी होती है –

(अ) वाद के पक्षकारों पर

(ब) वाद के पक्षकारों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों पर

(स) किसी पक्षकार के न्यासी होने पर, उन व्यक्तियों पर जिनके लिये वह न्यासी है

(द) उपरोक्त सभी पर

Que. Declaration made under Section 34 Specific Relief Act is binding –

(a) On the parties to the suit

(b) On the persons claiming through the parties to the suit

(c) Where any party is a trustee, on the persons for whom such party would be the trustee

(d) On all the above

The Motor Vehicles Act, 1988

(Section 140,163-A and 166)

प्र.क्र.31– ऐसे प्रतिकर की रकम, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988, की धारा 140 (1) के अंतर्गत संदेय होगी, नियत राशि होगी –

(अ.) रूपए 25000,

(ब.) रूपए 35000,

(स.) रूपए 40000,

(द.) रूपए 50000,

Que. An amount of compensation which shall be payable under Section 140 (1) of the Motor Vehicles Act, 1988, in respect of the death of any person shall be fixed sum of -

(a) Rupees 25000,

(b) Rupees 35000,

(c) Rupees 40000,

(d) Rupees 50000.

प्र.क्र.32– मोटर यान अधिनियम, 1988, की धारा 163क (1) के प्रयोजनों के लिए "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार है जो–

(अ.) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 मे है,

(ब.) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 मे है,

(स.) सामान्य खण्ड अधिनियम 1897 में है,

(द.) उपरोक्त में से कोई नहीं.

Que. For the purpose of section 163A (1), of the Motor Vehicles Act, 1988, "permanent disability" shall have the same meaning and extent as in the -

(a) Minimum Wages Act, 1948,

(b) Workmen's Compensation Act, 1923,

(c) General Clauses Act, 1897,

(d) None of the above.

प्र.क्र.33– मोटर यान अधिनियम, 1988, की धारा 166 के प्रयोजनों के लिए प्रतिकर हेतु कोई आवेदन तब तक ग्रहण नही किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना होने से..... के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो–

(अ.) छः माह,
(ब.) एक वर्ष,
(स.) दो वर्ष,
(द.) परिसीमा की कोई अवधि निर्धारित नही है,

Que. For the purpose of section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988, no application for compensation shall be entertained unless it is made within ..... of the occurrence of the accident-

(a) Six Month,
(b) One Year,
(c) Two Year,
(d) No period of limitation is prescribed,

प्र.क्र. 34– मोटर यान दुर्घटना के मामले में दावेदार की अंशदायी उपेक्षा या संयुक्त उपेक्षा का प्रश्न परीक्षित किया जा सकता है–

(अ) धारा 140 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में
(ब) धारा 163 A के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में
(स) धारा 166 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में
(द) उपरोक्त सभी

Que. In motor accident claim cases, the question of contributory negligence or composite negligence of the claimant can be examined-

(a) In application moved under Sec. 140
(b) In application moved under Sec. 163 A
(c) In application moved under Sec. 166 (1)
(d) All the above.

प्र.क्र.35– मोटर यान अधिनियम की धारा 140 (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में दावेदार को.....

(अ) यह अभिवाक् करना और सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रश्नगत मोटर यान दुर्घटना प्रत्यर्थी के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी
(ब) यह अभिवाक् करना और सिद्ध करना आवश्यक नही है कि मोटर यान दुर्घटना प्रत्यर्थी के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी
(स) यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि मृतक/निःशक्त व्यक्ति दुर्घटना के पूर्व कुछ आय अर्जित करता था
(द) (अ) और (स) दोनों

Que. In any claim for compensation under Section 140 (1) of the Motor Vehicle Act, the claimant is .....

(a) required to plead and prove that questioned motor vehicle accident occurred due to any wrongful act, neglect or default of the respondents.

(b) not required to plead and prove that questioned motor vehicle accident occurred due to any wrongful act, neglect or default of the respondents.

(c) required to prove that the deceased/disabled person was earning something prior to accident

(d) (a) & (c) both

The Code of Criminal Procedure, 1973

प्र.क्र.36–**पीड़ित** में शामिल नहीं है –

(अ) स्वयं पीड़ित

(ब) पीड़ित का संरक्षक

(स) पीड़ित का विधिक उत्तराधिकारी

(द) पीड़ित का मुख्तार

Que. **Victim** does not include –

(a) Victim himself

(b) Guardian of the victim

(c) Legal heir of the victim

(d) Power of attorney of the victim

प्र.क्र.37– धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण की अधिकतम राशि हो सकती है –

(अ) पांच हजार रूपये प्रतिमाह

(ब) दस हजार रूपये प्रतिमाह

(स) पंद्रह हजार रूपये प्रतिमाह

(द) कोई सीमा नहीं है

Que. The maximum amount of maintenance under section 125 Criminal Procedure Code may be –

(a) Rs. 5,000 per month

(b) Rs. 10,000 per month

(c) Rs. 15,000 per month

(d) No limit

प्र.क्र.38–सेशन न्यायालय द्वारा आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में अपराध का संज्ञान लिया जाता है –

(अ) धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता में

(ब) धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता में

(स) धारा 193 दण्ड प्रक्रिया संहिता में

(द) धारा 156 दण्ड प्रक्रिया संहिता में

Que. Cognizance of offence as a Court of original jurisdiction is taken by Sessions Court –

(a) Under Section 173 Criminal Procedure Code

(b) Under Section 190 Criminal Procedure Code

(c) Under Section 193 Criminal Procedure Code

(d) Under Section 156 Criminal Procedure Code

प्र.क्र.39– धारा 377 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की जा सकती है –
(अ) राज्य द्वारा
(ब) पीड़ित द्वारा
(स) अभियुक्त द्वारा
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. An appeal can be filed under section 377 Criminal Procedure Code –
(a) By the state
(b) By the victim
(c) By the accused
(d) None of the above

प्र.क्र.40– धारा 452 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है–
(अ) अंतर्गत धारा 453 दण्ड प्रक्रिया संहिता
(ब) अंतर्गत धारा 456 दण्ड प्रक्रिया संहिता
(स) अंतर्गत धारा 455 दण्ड प्रक्रिया संहिता
(द) अंतर्गत धारा 454 दण्ड प्रक्रिया संहिता

Que. An appeal may be filed against the order passed under Section 452 Criminal Procedure Code –
(a) Under Section 453 Criminal Procedure Code
(b) Under Section 456 Criminal Procedure Code
(c) Under Section 455 Criminal Procedure Code
(d) Under Section 454 Criminal Procedure Code

प्र.क्र.41–प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में करता है?
(अ) अजमानतीय और असंज्ञेय अपराध
(ब) जमानतीय और संज्ञेय अपराध
(स) जमानतीय और असंज्ञेय अपराध
(द) अजमानतीय और संज्ञेय अपराध

Que. Private person may arrest any person who in his presence commits?
(a) Non bailable and non cognizable offence
(b) Bailable and Cognizable offence
(c) Bailable and Non Cognizable offence
(d) Non bailable and Cognizable offence

प्र.क्र.42– द.प्र.सं. की धारा 125 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है?
(अ) अविवाहित बहन
(ब) दत्तक माता
(स) तलाकशुदा पत्नी जिसने पुनर्विवाह न किया हो
(द) अधर्मज अवयस्क बालक

Que. Who among the following is not entitled to claim maintenance under Sec. 125 of Cr.P.C ?
(a) Unmarried sister
(b) Adopter mother
(c) Divorced wife who does not remarry
(d) Illegitimate minor child

प्र.क्र.43– एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अन्दर हाजिर होने पर अपनी कुर्क सम्पत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है–
(अ) 6 मास के अन्दर
(ब) 2 वर्ष के अन्दर
(स) 3 वर्ष के अन्दर
(द) एक वर्ष के अन्दर

Que. A proclaimed person whose property has been attached can claim the property attached or the sale proceeds on appearance within-
(a) 6 months of attachment
(b) 2 years of attachment
(c) 3 years of attachment
(d) one year of attachment

प्र.क्र.44– दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथा संभव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और 376(क) से (घ) तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए?
(अ) धारा 26 (क)
(ब) धारा 26 (ख)
(स) धारा 55 (क)
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Que. Under which section of Cr.P.C. offences falling under Section 376 and 376 (a) to (d) IPC as far as possible are to be tried by a woman Presiding Judge?
(a) Sec. 26 (a)
(b) Sec. 26 (b)
(c) Sec. 55 (a)
(d) None of the above

प्र.क्र.45– उच्चतम न्यायालय ने निम्न किस केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं–
(अ) दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन
(ब) सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य
(स) दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य
(द) पीपुल्स यूनियन फॉर ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ

Que. The Supreme Court has issued guidelines while effecting the arrest of a sub-ordinate judicial officer in which of the following cases :
(a) Delhi Judicial Service Association Vs. Delhi Administration
(b) Citizens for Democracy Vs. State of Assam
(c) Delhi Judicial Service Association Vs. State of Gujarat
(d) People's Union for Human Rights Vs. Union of India

प्र.क्र.46– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 31 (2) (ख) के अंतर्गत एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में संकलित दण्ड अधिक नही होगा–
(अ.) उस दण्ड की मात्रा से जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है,
(ब.) उस दण्ड की मात्रा के दुगुने से अधिक नही होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है,
(स.) उस दण्ड की मात्रा के तीनगुने से अधिक नही होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है,
(द.) उपरोक्त में से कोई नहीं,

Que. Under Section 31 (2) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973, the aggregate punishment in cases of conviction of several offences at one trial shall not exceed .....
(a) The amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offence
(b) Twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offence
(c) Thrice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offence
(d) None of the above

प्र.क्र.47– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 70 के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारण्ट तब तक प्रवर्तन में रहेगा –
(अ.) जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता
(ब.) जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता
(स.) दोनों (अ) और (ब)
(द.) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Every Warrant of arrest issued by a court under section 70 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall remain in force-
(a) Until it is cancelled by the court which issued it
(b) Until it is executed,
(c) Both (a) or (b)
(d) None of the above

प्र.क्र.48– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164–क निम्नलिखित व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा को अनिवार्य बनाती है –
(अ.) बलात्संग के अभियुक्त व्यक्ति की
(ब.) बलात्संग की पीड़िता

(स.) दोनों (अ) और (ब)
(द.) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Section 164-A of the Code of Criminal Procedure, 1973, makes mandatory the medical examination of the person-
(a) Person accused of Rape
(b) Victim of Rape
(c) Both (a) or (b)
(d) None of the above

प्र.क्र.49– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के निम्नलिखित में से किस उपबन्ध के अंतर्गत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है?
(अ.) धारा 230 (2)
(ब.) धारा 231 (2)
(स.) धारा 232 (2)
(द.) धारा 233 (2)

Que. Under which of the following provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 can the accused file written statements in support of his defence?
(a) Section 230 (2)
(b) Section 231 (2)
(c) Section 232 (2)
(d) Section 233 (2)

प्र.क्र.50– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा समन–मामलों को वारण्ट–मामलों में सम्परिवर्तित करने के लिए मजिस्ट्रेट को अधिकृत करती है –
(अ.) धारा 256
(ब.) धारा 257
(स.) धारा 258
(द.) धारा 259

Que. Which of the following section of the Code of Criminal Procedure, 1973, authorises the magistrate to convert a summons-cases into warrant-cases?
(a) Section 256
(b) Section 257
(c) Section 258
(d) Section 259

प्र.क्र.51– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजनों के लिए "अभिवाक् सौदेबाजी" लागू होगी –
(अ.) केवल पुलिस मामलों में,
(ब.) केवल परिवाद मामलों में,
(स.) दोनों (अ) और (ब),
(द.) उपरोक्त में से कोई नहीं.

Que. For the purpose of the Code of Criminal Procedure, 1973, "Plea bargaining" is applicable in-

(a) Police case only
(b) Complaint case only
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above

प्र.क्र.52– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के अंतर्गत न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति/शक्तियाँ प्राप्त है –

(i) किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकने की,
(ii) किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकने की,
(iii) किसी व्यक्ति को, जिसकी परीक्षा पहले की जा चुकी है पुनः बुला सकने और उसकी पुनः परीक्षा कर सकने की,
(अ.) केवल (i) और (ii),
(ब.) केवल (ii) और (iii),
(स.) केवल (i) और (iii),
(द.) (i), (ii) और (iii),

Que. Which of the following power/s is/are available to the court under Section 311 of the Code of Criminal Procedure, 1973?

i. To summon any person as a witness,
ii. To examine any person in attendance, though not summoned as a witness,
iii. To recall and re-examine any person already examined,
(a) Only (i) and (ii),
(b) Only (ii) and (iii),
(c) Only (i) and (iii),
(d) (i), (ii) and (iii).

प्र.क्र.53– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस लिया जा सकता है–

(अ.) आरोप विरचित करने के पूर्व,
(ब.) साक्षियों की परीक्षा के पूर्व,
(स.) निर्णय सुनाए जाने के पूर्व,
(द.) उपरोक्त में से कोई नहीं,

Que. A prosecution can be withdrawn under section 321 of the Code of Criminal Procedure, 1973-

(a) Before the framing of charge,
(b) Before the examination of witnesses,
(c) Before the judgement is pronounced,
(d) None of the above.

प्र.क्र.54– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपीलों के उपशमन से सम्बन्धित है–

(अ.) धारा 391
(ब.) धारा 392
(स.) धारा 394
(द.) धारा 399

Que. Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973, deals with abatement of appeals?

(a) Section 391
(b) Section 392
(c) Section 394
(d) Section 399

प्र.क्र.55– यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है तब अपराध का संज्ञान लेने के लिए क्या परिसीमा काल निर्धारित है–

(अ.) छः माह
(ब.) एक वर्ष
(स.) दो वर्ष
(द.) तीन वर्ष

Que. What is the period of limitation prescribed for taking cognizance, if the offence is punishable with fine only?

(a) Six months
(b) One year
(c) Two years
(d) Three years

The Indian Evidence Act, 1872

प्र.क्र.56–इनमें से कौन सा दस्तावेज नहीं है–

(अ) लेख
(ब) मानचित्र
(स) उपहासांकन
(द) रेडियो प्रसारण

Que. Which of the following is not a document –

(a) A Writing
(b) A map
(c) A caricature
(d) Radio telecast

प्र.क्र.57– धारा 3 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार **न्यायालय** में शामिल नहीं है –

(अ) न्यायाधीश
(ब) मध्यस्थ
(स) मजिस्ट्रेट
(द) साक्ष्य लेने हेतु वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति

Que. The person not included in the **Court** as per section 3 Evidence Act is –

(a) Judge
(b) Arbitrator
(c) Magistrate
(d) Person legally authorized to take evidence

प्र.क्र.58– धारा 14 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार **मन की दशा** में शामिल तथ्य हैं –

(अ) आशय
(ब) ज्ञान
(स) उतावलापन
(द) उपरोक्त सभी

Que. As per Section 14 Evidence Act, facts included in **state of mind** are –

(a) Intention
(b) Knowledge
(c) Rashness
(d) All of the above

प्र.क्र.59–कोई दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणन होना विधि द्वारा अपेक्षित है, के निष्पादन को साबित करने हेतु बुलाया जाना आवश्यक है –

(अ) कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी
(ब) दोनों अनुप्रमाणक साक्षी
(स) दस्तावेज लेखक
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. To prove the execution of any document which is required by law to be attested, it is necessary to call –

(a) At least one attesting witness
(b) Both attesting witnesses
(c) Writer of the document
(d) None of the above

प्र.क्र.60– **अन्यत्र स्थित अभिवाक** को सिद्ध करने का भार होता है –

(अ) अभियोजन पर
(ब) पीड़ित पर
(स) अभियुक्त पर
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. The burden to prove **plea of alibi** is –

(a) On Prosecution
(b) On victim
(c) On accused
(d) None of the above

प्र.क्र.61– किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी–

(अ) सक्षम साक्षी होंगे

(ब) अक्षम साक्षी होंगे
(स) अगर वे वयस्क हैं तथा दूसरे की सहमति हो तभी सक्षम साक्षी होंगे
(द) यदि वह स्वस्थ चित्त है तथा दूसरे की सहमति से ही सक्षम साक्षी होंगे

Que. In criminal proceedings against any person, the husband or wife of such person, shall be :
(a) Competent witness
(b) Incompetent witness
(c) Competent witness only if they are major and with the consent of other
(d) Competent witness only if they are sane and with the consent of other

प्र.क्र.62– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा दी गई है?
(अ) धारा 111– A
(ब) धारा 113– A
(स) धारा 113– B
(द) धारा 113

Que. In which Section of the Indian Evidence Act 'Presumption as to Dowry Death' is provided?
(a) Section 111-A
(b) Section 113-A
(c) Section 113-B
(d) Section 113

प्र.क्र.63– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डी.एन.ए. टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है?
(अ) धारा 47
(ब) धारा 45
(स) धारा 48
(द) धारा 49

Que. Under which Section of the Indian Evidence Act, D.N.A. test can be admitted in Evidence?
(a) Section 47
(b) Section 45
(c) Section 48
(d) Section 49

प्र.क्र.64– विबंधन का सिद्धांत है एक–
(अ) मौलिक विधि
(ब) साम्या का नियम
(स) साक्ष्य का नियम
(द) अभिवचनों का नियम

Que. The doctrine of estoppel is a
(a) substantive law
(b) rule of equity

(c) rule of evidence
(d) law of pleadings

प्र.क्र.65– "क" पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि "क" के पास टिकट था, पर है–
(अ.) टिकिट चैकर,
(ब.) रेलवे,
(स.) "क",
(द.) अभियोजन,

Que. A is charged with travelling on a railway without a ticket, the burden of proving that A had a ticket is on-
(a) Ticket checker,
(b) Railway,
(c) 'A',
(d) Prosecution.

प्र.क्र.66– सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकेगा–
(अ.) प्रतिपरीक्षा में,
(ब.) न्यायालय की अनुज्ञा से मुख्य परीक्षा में,
(स.) न्यायालय की अनुज्ञा से पुनः परीक्षा में,
(द.) उपरोक्त सभी स्थितियों में,

Que. When can leading questions be asked?
(a) In cross examination,
(b) In examination in chief with the permission of the court,
(c) In re-examination with the permission of the court,
(d) In all the above situations.

प्र.क्र.67– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, की कौन सी धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत है –
(अ.) धारा 24,
(ब.) धारा 25,
(स.) धारा 26,
(द.) धारा 27,

Que. Under which section of the Indian Evidence Act, 1872, confession before the Magistrate is relevant?
(a) Section 24,
(b) Section 25,
(c) Section 26,
(d) Section 27.

प्र.क्र.68– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, की कौन सी धारा यह उपबन्ध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा–
(अ.) धारा 161,

(ब.) धारा 165,
(स.) धारा 166,
(द.) धारा 167,

Que. Which section of the Indian Evidence Act, 1872, makes the provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or rejection of evidence?
(a) Section 161,
(b) Section 165,
(c) Section 166,
(d) Section 167.

प्र.क्र. 69– वादी की पुनः परीक्षा–
(अ) जो कुछ भी मुख्य परीक्षा में बच गया है उसकी पूर्ति के उद्देश्य के लिए हो सकती है
(ब) जो मामले प्रतिपरीक्षा में उल्लिखित हैं उनके स्पष्टीकरण के उद्देश्य से हो सकती है
(स) जो मामले मुख्य परीक्षा में उल्लिखित हैं उनके स्पष्टीकरण के उद्देश्य से हो सकती है
(द) उपरोक्त सभी

Que. Re-examination of witness :
(a) can be for the purpose of filling what is left-over in examination in chief
(b) can be for the purpose of explaining the matters referred to in cross-examination
(c) can be for the purpose of explaining the matter referred to in examination in chief
(d) all the above

प्र.क्र.70– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए –
(i) सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है,
(ii) दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है,
(iii) पूर्व दोषसिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है,
(अ.) केवल (i) और (ii),
(ब.) केवल (ii) और (iii),
(स.) केवल (i) और (iii),
(द.) (i), (ii) और (iii),

Que. For the purpose of the Indian Evidence Act, 1872, choose the correct statement in the following-
i. In civil cases character to prove conduct imputed, irrelevant
ii. In criminal proceedings, the fact that the person accused is of good character, is relevant
iii. A previous conviction is relevant as evidence of bad character
(a) Only (i) and (ii),
(b) Only (ii) and (iii),

(c) Only (i) and (iii),
(d) (i), (ii) and (iii),

Indian Penal Code, 1860

प्र.क्र.71– जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह इस कार्य को ..... से करता है, यह कहा जाता है –
(अ) अज्ञानता
(ब) सद्भावना
(स) बेईमानी
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, is said to do that thing....–
(a) Ignorance
(b) Bonafide
(c) Dishonestly
(d) None of the above

प्र.क्र.72– बलात्संग करने के आशय से किये गये हमले में शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार होता है –
(अ) हमलावर को पकड़ने तक
(ब) हमलावर को बांधने तक
(स) हमलावर को घोर उपहति कारित करने तक
(द) हमलावर की मृत्यु कारित करने तक

Que. In an assault with the intention of committing rape, the right of private defence of the body extends –
(a) Up to catching the aggressor
(b) Up to tying the aggressor
(c) Up to causing grievous injury to the aggressor
(d) Up to causing death of the aggressor

प्र.क्र.73– धारा 304 ख के आरोप हेतु एक आवश्यक तथ्य यह भी है कि मृत्यु, विवाह के पश्चात् ..... के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हो –
(अ) पांच वर्ष
(ब) सात वर्ष
(स) तीन वर्ष
(द) एक वर्ष

Que. A necessary ingredient for the charge of section 304 B is that death should occur otherwise than under normal circumstances within ..... of marriage –
(a) Five Years
(b) Seven Years

(c) Three Years
(d) One Year

प्र.क्र.74– जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिये बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का.....करता है –
(अ) व्यपहरण
(ब) अपहरण
(स) सदोष अवरोध
(द) सदोष परिरोध

Que. Whoever by force compels or by any deceitful means induces, any person to go from any place is said to .....that person –
(a) Kidnap
(b) Abduct
(c) Wrongfully restraint
(d) Wrongfully confine

प्र.क्र.75– धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत बलात्संग के लिये न्यूनतम दण्ड की मात्रा है–
(अ) दस वर्ष का कठोर कारावास
(ब) चौदह वर्ष का कठोर कारावास
(स) बीस वर्ष का कठोर कारावास
(द) आजीवन कारावास

Que. The minimum punishment for the offence of rape under Section 376 Indian Penal Code is –
(a) Rigorous imprisonment for ten years
(b) Rigorous imprisonment for fourteen years
(c) Rigorous imprisonment for twenty years
(d) Life imprisonment

प्र.क्र.76– **य** के घर की दीवार में छेद करके और उस छेद में अपना हाथ डालकर **क** गृह अतिचार करता है । यह ..... है –
(अ) प्रच्छन्न गृह अतिचार
(ब) गृह भेदन
(स) आपराधिक अतिचार
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. A commits house trespass by making a hole through the wall of Z's house and putting his hand through the aperture. This is .....
(a) Lurking house trespass
(b) House breaking
(c) Criminal trespass
(d) None of the above

प्र.क्र.77– सूत्र "सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते है" भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में समाविष्ट है?

(अ) धारा 87
(ब) धारा 90
(स) धारा 92
(द) उपर्युक्त किसी में नहीं

Que. The maxim "Volenti non fit injuria' has been incorporated in which section of the Indian Penal Code?
(a) Section 87
(b) Section 90
(c) Section 92
(d) None of the above

प्र.क्र. 78– अन्य बातों की तरह अपराध में "वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हें तथा प्रतीक्षा करते हैं।" यह अभिकथन हैं?
(अ) महबूब शाह बनाम एम्परर
(ब) रिषिदेव पान्डे बनाम उ.प्र. राज्य
(स) बारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर
(द) कृपाल सिंह बनाम उ.प्र. राज्य

Que. In crimes as in other things "they also serve who only stand and wait" was held in
(a) Mahboob Shah Vs. Emperor
(b) Rishideo Pandey Vs. State of U.P.
(c) Barendra Kumar Ghosh Vs. Emperor
(d) Kripal Singh Vs. State of U.P.

प्र.क्र.79– निम्नलिखित में से कौन सी विधि की उपधारणा के अधीन अपराध करने में अक्षम होता है?
(अ) 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा
(ब) 10 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा
(स) 7 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा
(द) 10 वर्ष से अधिक तथा 14 वर्ष के मध्य आयु का बच्चा

Que. Which one of the following is presumed under law to be 'doli incapax' to commit a crime?
(a) A child of under 7 years of age
(b) A child of under 10 years of age
(c) A child above 7 years and under 12 years of age
(d) A child between 10 years and 14 years of age

प्र.क्र. 80–'विधि की अनभिज्ञता प्रतिहेतु नहीं है' सूत्र
(अ) दांडिक अपराधों पर लागू नहीं होता है।
(ब) अपवाद ग्रहण करता है।
(स) केवल किसी विदेशी के मामले में जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप में यह धारणा नहीं की जा सकती है कि वह देश के कानून को जानता था–अपवाद ग्रहण करता है।
(द) कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है।

Que. The maxim ignorantia juris non excusat

(a) Does not apply to criminal offence
(b) Admits exceptions
(c) Admits exception only in case of a foreigner who cannot reasonably be supposed to know the law of the land
(d) Admits no exception

प्र.क्र.81– जहॉ दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने का या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने को सहमत होते है, तो वह कार्य बन जाता है
(अ) आपराधिक अभ्यारोपण
(ब) आपराधिक षडयंत्र
(स) दुष्प्रेरण
(द) आन्वयिक दायित्व

Que. When two or more persons agree to do an illegal act or do an act by illegal means, such an act amounts to
(a) Criminal indictment
(b) Criminal conspiracy
(c) Abetment
(d) Constructive liability

प्र.क्र.82– दो पक्षकारों के बीच स्वतन्त्र लड़ाई के मामले में–
(अ) प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पक्षकारों को उपलब्ध है।
(ब) प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व्यक्तियों को व्यक्ति के विरूद्ध उपलब्ध है।
(स) किसी पक्षकार का प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है।
(द) प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल एक पक्षकार को उपलब्ध है।

Que. In a case of free fight between two parties-
(a) Right of private defence is available to both the parties
(b) Right of private defence is available to individuals against individual
(c) No right to private defence is available to either party
(d) Right to private defence is available only to one party

प्र.क्र.83– भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा ..... "संयुक्त दायित्व" का सिद्धांत निहित है –
(अ.) धारा 31 से 34,
(ब.) धारा 34 से 38,
(स.) धारा 32 से 36,
(द.) उपरोक्त में से कोई नही,

Que. Principles relating to joint liabilities are contained in sections ..... of the Indian Penal Code, 1860?
(a) 31 to 34,
(b) 34 to 38,
(c) 32 to 36,
(d) None of the above.

प्र.क्र.84– भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा "एकान्त परिरोध" से संबंधित है–

(अ.) धारा 70,
(ब.) धारा 71,
(स.) धारा 72,
(द.) धारा 73,

Que. Which of the following sections of the Indian Penal Code 1860, deal with 'solitary confinement'?

(a) Section 70,
(b) Section 71,
(c) Section 72,
(d) Section 73.

प्र.क्र.85– भारतीय दण्ड संहिता, 1860, की धारा 80 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है यदि वह–

(अ.) दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी अपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हुई हो
(ब.) किसी भी साधन द्वारा किसी भी तरीके से एक विधिपूर्ण कार्य करने में हुई हो,
(स.) किसी भी साधन द्वारा विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण कार्य करने में हुई हो,
(द.) उपरोक्त सभी,

Que. Under section 80 of the Indian Penal Code, 1860, nothing is an offence which is done by-

(a) Accident or misfortune, and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution,
(b) In doing of a lawful act in any manner by any means,
(c) In doing of a lawful act in a lawful manner by any means,
(d) All of the above.

प्र.क्र.86– "**क**", एक लोक आफिसर, न्यायालय के वारण्ट द्वारा "**य**" को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। "**ख**" उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि "**ग**", "**य**" नही है, "**क**" को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि "**ग**", "**य**" है, और तद्द्वारा साशय "**क**" से "**य**" को पकड़वाता है यहाँ "**ख**" "**ग**" के पकड़ जाने का ..... द्वारा दुष्प्रेरण करता है –

(अ.) सहायता,
(ब.) षड़यंत्र,
(स.) उकसाने,
(द.) उपरोक्त सभी,

Que. A, a public officer, is authorized by a warrant from a court of justice to apprehend Z. B, knowing that fact and also that C is not Z, wilfully represents to A that C is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here B abets by ..... the apprehension of C.

(a) Aid,
(b) Conspiracy,

(c) Instigation,
(d) All the above.

प्र.क्र.87– **"क"** यह जानता है कि **"य"** एक झाड़ी के पीछे है। **"ख"** यह नहीं जानता। **"य"** की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे **"य"** की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, **"ख"** को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए **"क"** उत्प्रेरित करता है। **"ख"** गोली चलाता है और **"य"** को मार डालता है। यहाँ, यह हो सकता है कि **"ख"** किसी अपराध का दोषी न हो किन्तु **"क"** ने अपराध किया है–
(अ.) दुष्प्रेरण का,
(ब.) हत्या,
(स.) अपराधिक मानव–वध,
(द.) उपरोक्त में से कोई नहीं.

Que. A knows Z to be behind a bush. B does not know it, A, intending to cause, or knowing it to be likely to cause Z's death, induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offence, but A has committed the offence of
(a) Abetment,
(b) Murder,
(c) Culpable Homicide,
(d) None of the above.

प्र.क्र.88– जो कोई किसी अप्राप्तवय बालिका को जो कि ..... वर्ष से कम आयु की है, को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय बालिका का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है–
(अ.) 12 वर्ष,
(ब.) 15 वर्ष,
(स.) 16 वर्ष,
(द.) 18 वर्ष,

Que. Whoever takes or entices any minor female child under the age of ..... from legal guardianship of such minor without the consent of such guardian, is said to kidnap such person from lawful guardianship.
(a) 12 years,
(b) 15 years,
(c) 16 years,
(d) 18 years.

प्र.क्र.89– सामान्यतः किसी अपराध को करने की तैयारी दण्डनीय नही है किन्तु भारतीय दण्ड संहिता, 1860, की धारा 399 के अधीन ..... करने के लिए तैयारी करना दण्डनीय अपराध है –
(अ.) लूट,
(ब.) डकैती,
(स.) उद्दापन,
(द.) उपरोक्त सभी,

Que. Ordinarily, preparation to commit an offence is not punishable. But preparation to commit..... is punishable under section 399 of the Indian Penal Code, 1860.
(a) Robbery,
(b) Dacoity,
(c) Extortion,
(d) All of the above.

प्र.क्र.90– भारतीय दण्ड संहिता, 1860, की किस धारा के अंतर्गत "दृष्यरतिकता" का अपराध दण्डनीय है–
(अ.) धारा 354–क,
(ब.) धारा 354–ख,
(स.) धारा 354–ग,
(द.) धारा 354–घ

Que. In which of the section of the Indian Penal Code, 1860, offence of "voyeurism" is punishable-
(a) Section 354-A,
(b) Section 354-B,
(c) Section 354-C,
(d) Section 354-D.

The Negotiable Instruments Act, 1881
(Sections 138 to 142)

प्र.क्र.91– परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए यह साबित करने का भार, कि चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए जारी नहीं किया गया था, पर है–
(अ.) परिवादी,
(ब.) अभियुक्त,
(स.) अभियोजन,
(द.) न्यायालय,

Que. For offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, the burden of proving that a cheque has not been issued for discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is on-
(a) Complainant,
(b) Accused,
(c) Prosecution,
(d) The Court,

प्र.क्र.92– परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, की धारा 139 के अधीन उपधारणा है–
(अ.) खण्डनीय उपधारणा,
(ब.) अखण्डनीय उपधारणा,
(स.) आंशिक खण्डनीय व आंशिक अखण्डनीय उपधारणा,
(द.) खण्डनीय अथवा अखण्डनीय उपधारणा न्यायालय के विवेक पर निर्भर है,

Que. The presumption under section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881, are -

(a) Rebuttable presumption,
(b) Irrebuttable presumption,
(c) Partly rebuttable and partly Irrebuttable,
(d) Rebuttable or irrebuttable as per discretion of the court,

प्र.क्र.93– परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, की धारा 138 के अधीन अपराध दण्डनीय है–

(अ.) कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चैक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा,
(ब.) कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो चैक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा,
(स.) कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चैक की रकम का तीन गुना तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा,
(द.) कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा,

Que. The offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, is punishable-

(a) With imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to twice the amount of the cheque or with both,
(b) With imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to twice the amount of the cheque,
(c) With imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to thrice the amount of the cheque or with both,
(d) With imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to rupees fifty thousand the amount of the cheque or with both,

प्र.क्र.94– धारा 141 परक्राम्य लिखत अधिनियम में उल्लेखित कंपनी का अभिप्राय नहीं है –

(अ) कोई भी निगमित निकाय
(ब) कोई भी फर्म
(स) व्यक्तियों का अन्य संगम
(द) प्रोपराइटर

Que. The Company defined in Section 141 Negotiable Instruments Act does not mean –

(a) Any body corporate
(b) Any firm
(c) Other association of individuals
(d) Proprietor

प्र.क्र.95– परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का परिवाद प्रस्तुत करने में हुआ विलंब क्षमा किया जा सकता है –

(अ) धारा 139 में
(ब) धारा 142 में
(स) धारा 144 में
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. The delay in filing complaint under Section 138 Negotiable Instruments Act may be condoned –

(a) Under Section 139
(b) Under Section 142
(c) Under Section 144
(d) None of the above

The Electricity Act, 2003

प्र.क्र.96– विद्युत अधिनियम, 2003, के अंतर्गत अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकेगा –

(अ.) समुचित सरकार या समुचित आयोग या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के आधार पर,
(ब.) मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी के लिखित परिवाद के आधार पर,
(स.) दण्ड संहिता प्रकिया 1973 की धारा 173 के अधीन दाखिल की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट,
(द.) निजी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर से,

Que. Cognizance of an offence under the Electricity Act, 2003, cannot be taken-

(a) Upon a complaint in writing made by appropriate government or appropriate commission or any of their officer authorised by them
(b) Upon a complaint in writing made by chief electrical inspector or an electrical inspector or licensee or the generating company,
(c) Upon a report of a police officer filed under section 173 of the code of criminal procedure,
(d) Upon a complaint filed by a private person,

प्र.क्र.97– विद्युत अधिनियम, 2003, के अंतर्गत अपराधों का प्रशमन का प्रावधान उपबंधित है–

(अ.) धारा 151,
(ब.) धारा 152,
(स.) धारा 154,
(द.) धारा 155,

Que. The provision for compounding of offence under the Electricity Act, 2003, is given in -

(a) Section 151,
(b) Section 152,
(c) Section 154,

(d) Section 155,

प्र.क्र.98– विद्युत अधिनियम 2003 की किस धारा में बिजली चोरी का अपराध परिभाषित है –

(अ) धारा 115
(ब) धारा 95
(स) धारा 135
(द) धारा 145

Que. The theft of electricity is defined in section..... of Electricity Act, 2003 –

(a) Section 115
(b) Section 95
(c) Section 135
(d) Section 145

प्र.क्र.99– धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 का अपराध है –

(अ) संज्ञेय
(ब) असंज्ञेय
(स) संज्ञेय और अजमानतीय
(द) असंज्ञेय और जमानतीय

Que. The offence of Section 135 Electricity Act, 2003 is –

(a) Cognizable
(b) Non cognizable
(c) Cognizable and non bailable
(d) Non cognizable and bailable

प्र.क्र.100– एक उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी के अपराध का प्रशमन किया जा सकता है –

(अ) मात्र एक बार
(ब) मात्र तीन बार
(स) मात्र पांच बार
(द) कोई प्रतिबंध नहीं है

Que. Compounding for the offence of theft of electricity is allowed for a consumer..... –

(a) Only once
(b) Only three times
(c) Only five times
(d) There is no restriction

*****